परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/08/2016 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 एस0के0 दीक्षित	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3	प्रो0 पी0सी0 शुक्ल	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
4	प्रो0 एस0के0 सेन गुप्ता	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
5	प्रो0 सी0पी0 श्रीवास्तव	आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
6	डॉ0 अवधेश सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
7	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	वरिष्ठ, शिक्षक महाविद्यालय	सदस्य
8	डॉ0 सुधाकर लाल श्रीवास्तव	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
9	श्री अशोक कुमार अरविन्द	कुलसचिव	सदस्य
10	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

विशेष आमंत्रित

1	प्रो0 विजय कुमार	प्रतिनिधि, अधिष्ठाता छात्र कल्याण	

कार्यसूची :

1. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 09/07/2016 की कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार—
निर्णयः—समिति ने उपरोक्त बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि की।

2. प्रशान्त कुमार पाण्डेय, विधि भाग दो भूतपूर्व छात्र अनुक्रमांक 153068001011, वर्ष—2015 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्ष सम्मिलित है तथा टयूटोरियल की परीक्षा में कतिपय कारणों से सम्मिलित नही हो पाया है। जिसके कारण परीक्षा अनुत्तीर्ण है। छात्र द्वारा छूटी परीक्षा कराने का अनुरोध किया गया है। अध्यक्ष विधि विभाग ने इस प्रकरण को प समिति को सन्दर्भित किया है। तदक्रम में प्रशान्त कुमार के प्रकरण पर विचार--
निर्णयः— समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि प्रशान्त कुमार पाण्डेय, विधि भाग दो भूतपूर्व छात्र अनुक्र 153068001011, वर्ष—2015 चतुर्थ सेमेस्टर ट्यूटोरियल की छूटी परीक्षा करा ली जाय।

3. प्राचार्य, पी0डी0 लॉ कालेज खलीलाबाद, संतकबीरनगर ने अपने पत्र दिनांक 08/03/2016 के द्वारा अवगत कर है कि एल0एल—बी0 प्रथम सेमेस्टर वर्ष—2015 के सात (07) छात्र जो नियमित ट्यूटोरियल की कक्षा में सम्मिलित इन छात्रों का ट्यूटोरियल परीक्षा छूट गया है। वर्ष—2016 में ट्यूटोरियल परीक्षा कराने हेतु आवेदन किया ट्यूटोरियल शुल्क प्रति छात्र रू0 800/— जमा कराकर छूटे हुए छात्रों की ट्यूटोरियल की परीक्षा दीनदय उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर परीक्षा केन्द्र के प्रथम सेमेस्टर ट्यूटोरियल परीक्षा के साथ कराये पर विचार—

निर्णयः— अधिष्ठाता विधि संकाय की आख्या के क्रम में समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया महाविद्यालय पी0 लॉ कालेज खलीलाबाद, संतकबीरनगर में एल0एल—बी0 प्रथम सेमेस्टर वर्ष—2015 के सात (07) छात्र जो ट्यूटोरि की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाये हैं, वर्ष—2016 में टयूटोरियल शुल्क प्रति छात्र रू0 800/— जमा कराकर हुए छात्रों की ट्यूटोरियल की परीक्षा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर परीक्षा केन्द्र के प्र सेमेस्टर ट्यूटोरियल परीक्षा के साथ परीक्षा सम्पन्न करा ली जाय।

4. वार्षिक परीक्षा वर्ष—2016 में अनुचित साधन प्रयोग के अन्तर्गत कुल 551 अभ्यर्थी नकल में आरोपित हुए उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन विषय विशेषज्ञ द्वारा कराने के बाद, सम्बन्धित छात्रों को आरोप पत्र प्रेषित करन उपरान्त, उत्तरपुस्तिकाओं का "अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति" द्वारा निस्तारण किया गया है। "अनु साधन प्रयोग निस्तारण समिति" द्वारा 109 छात्रों को दोषमुक्त किया गया, 282 छात्रों का वर्ष—2016 का परीक्षा निरस्त किया गया तथा 142 छात्रों का वर्ष—2016 का परीक्षाफल निरस्त एवं वर्ष—2017 की परीक्षा से वंचित कि गया है। तदनुसार अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति की संस्तुतियों पर समय से परिणाम देने हेतु मान कुलपति जी के आदेश दिनांक 11/07/2016 के क्रम में परीक्षा समिति की प्रत्याशा में क्रियान्वयन पूर्ण कर दि गया है। परीक्षा समिति के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ विचार—
निर्णय— परीक्षा समिति ने सर्वसम्मत्ति से अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति के निर्णयों/संस्तुतियों को स्वीकार करते

5. डॉ0 सजीत कुमार गुप्ता संयोजक मूल्यांकन केन्द्र द्वारा निम्नलिखित अनुक्रमांक की उत्तरपुस्तिकाओं को अनु साधन प्रयोग को संदर्भित किया गया है--

(क) अनुक्रमांक 1610111530190 प्राचीन इतिहास प्रथम प्रश्नपत्र, तृतीय प्रश्नपत्र, कवरपृष्ठ पर पेंसिल द्वारा भरा है। उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के उपरान्त अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति ने यह प्रकरण परीक्षा सर्न को सन्दर्भित किया है।
निर्णयः– परीक्षा समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि अनुक्रमांक 1610111530190, प्राचीन इतिहास प्र प्रश्नपत्र एवं तृतीय प्रश्नपत्र का मूल्यांकन कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

(ख) अनुक्रमांक 1610074110267 की दो उत्तरपुस्तिकाएं A एवं B के रूप में आवंटित होने/मिलने पर अनु साधन प्रयोग में सन्दर्भित किया गया था। उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के बाद अनुचित साधन प्रयोग निस्ता समिति द्वारा परीक्षा समिति को सन्दर्भित किया गया है। तदक्रम में विचार–
निर्णयः–समिति ने अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति की संस्तुति के अनुरूप परीक्षाफल घोषित करने निर्णय लिया, लेकिन महाविद्यालय से पृच्छा कर लिया जाय कि किन परीस्थितियों में B कॉपी निर्गत की गयी

(ग) बी0ए0 भाग तीन अजीत कुमार चौरसिया अनुक्रमांक 1610111440196 नकल में आरोपित हैं। पी--3 पर परिप्रे एवं केन्द्राध्यक्ष की रिपोर्ट है कि "परीक्षार्थी के स्थान पर दूसरा छात्र परीक्षा दे रहा था, पूछताछ के दौरान भाग गया।" निस्तारण समिति ने इस प्रकरण को परीक्षा समिति को सन्दर्भित किया है। अनुचित साधन प्र निस्तारण समिति द्वारा सन्दर्भित प्रकरण पर विचार--
निर्णयः–परीक्षा समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि बी0ए0 भाग तीन अजीत कुमार चौरसिया अनुक्रम 1610111440196, वर्ष–2016 का परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाय तथा वर्ष–2017 की परीक्षा से भी वंचित दिया जाय तथा महाविद्यालय इस सम्बन्ध में अपने स्तर से अन्य आवश्यक कारवाई करें।

(घ) अनुक्रमांक 1610114200031 की उत्तरपुस्तिका की सिलाई खोलकर पुनः सिलाई की गयी है। उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन के बाद अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति ने परीक्षा समिति को संदर्भित किया है। उत्तरपुस्ति के खुली हुई सिलाई पर विचार–
निर्णयः–परीक्षा समिति ने पाया कि अन्दर की उत्तरपुस्तिका सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर है अतः सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि बी0ए0 तृतीय वर्ष, अनुक्रमांक 1610114200031, वर्ष–2016 परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाय तथा महाविद्यालय से भी स्पष्टीकरण प्राप्त की जाय।

(ड़) अनुक्रमांक 1610013410085 की उत्तरपुस्तिका पर दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर का कवर लगा है उत्तरपुस्तिका सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर की है। उत्तरपुस्तिका पर अंकित कोड को फाड़ दिया गया है। उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के बाद अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति ने परी समिति को सन्दर्भित किया है। उक्त प्रकरण पर विचार--
निर्णयः– परीक्षा समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि बी0ए0 प्रथम वर्ष, अनुक्रमांक 16100134100 वर्ष–2016 का परीक्षाफल निरस्त कर दिया जाय तथा महाविद्यालय से भी स्पष्टीकरण प्राप्त की जाय।

(च) अनुक्रमांक 1610114200008, 105, 109, 123, 129 तथा 162000420008 की उत्तरपुस्तिकाओं का सिलाई खुली तथा कवरपृष्ठ चिपकाया गया है। उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समि ने परीक्षा समिति को संदर्भित किया है। उक्त प्रकरण पर विचार--
निर्णयः– परीक्षा समिति ने 'अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति' के संस्तुति के अनुरूप अनुक्रम 1610114200008 के सम्बन्ध में उत्तरपुस्तिका की सिलाई खुली होने एवं कवर पेज को चिपकाने के क्रम महाविद्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय, शेष छात्रों की परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

6. सत्र 2016–17 में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की भांति तृतीय वर्ष में भी प्राचीन इतिहास, इतिहास, समाज शास्त्र शिक्षा शास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं गृहविज्ञान कुल छः विषयों के प्रथम प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र (बहुविकल्पीय) परीक्षा कराये जाने पर विचार–
निर्णयः– परीक्षा समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की भांति स्नातक भाग तीन वर्ष–2017 में भी प्राचीन इतिहास, इतिहास, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं गृहविज्ञान कुल छ विषयों के प्रथम प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र (बहुविकल्पीय) परीक्षा सम्पन्न करायी जाय।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष की अनुमति से–

1. स्नातक प्रथम वर्ष–2016 में आनलाईन परीक्षाफार्म भरने की प्रक्रिया के क्रम में अभ्यर्थी/महाविद्यालयों द्वारा त्रुटिवश विषय/विषयों में परिवर्तन हो गया है जिसके क्रम में प्रवेशित छात्र द्वारा पूरे सत्र में पढ़े विषय महाविद्यालय द्वारा परीक्षा करा ली गयी है। तदक्रम में विषय परिवर्तन की अनुमति पर विचार।
निर्णयः– परीक्षा समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि गत वर्ष की भांति की छात्र द्वारा पूरे सत्र में पढ़े वि जिसमें परीक्षा दिया है, के अनुरूप विषय परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाय।

2. श्री विनोद प्रताप सिंह, ग्राम–वेलबनवाँ, पोस्ट–मेंहदावल, जनपद–सन्तकबीर नगर द्वारा श्री नरेन्द्र पाण्डेय, बी0ए परीक्षा वर्ष–1986, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अभिलेखों की सत्यता के सम्बन्ध में की गयी शिकायत इस सम्बन्ध में योचित रिट याचिका संख्या 5869/2015 विनोद प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य प्रतिशपथ पत्र दाखिल होने वाले प्रतिशपथ पत्र के क्रम में बी0एड0 परीक्षा वर्ष–1986 से सम्बन्धित सा अभिलेखों की विस्तृत जाँच हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा एक जाँच समिति का गठन किया गया है। जि अधिष्ठाता विधि संकाय, प्रो0 एन0पी0 भोक्ता एवं परीक्षा नियंत्रक सदस्य हैं। समिति ने सुझाव दिया है कि प्र तथ्यों को परीक्षा समिति को अवगत कराना समीचीन होगा। तदक्रम में विचार।
निर्णयः– परीक्षा समिति ने गठित समिति की बैठक दिनांक 16/08/2016 की संस्तुति "प्रथम दृष्टया श्री न कुमार पाण्डेय का बी0एड0 वर्ष–1986 का अंकपत्र कूटरचित/हेराफेरी कर बनवाया गया प्रतीत होता है। समि का सुझाव है कि श्री नेरन्द्र कुमार पाण्डेय के प्रकरण पर समिति द्वारा उनके पक्ष को सुनकर निर्णय लिया ज समीचीन होगा" स्वीकार किया।

3. श्री राम कुमार सिंह, शोध छात्र जेनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग विभाग के शोध मौखिकी परीक्षा के उपरान्त श उपाधि प्रदान करने के सम्बन्ध आ रही समस्याओं के समाधान पर विचार।
निर्णयः– परीक्षा समिति ने शोध मौखिकी परीक्षा में बाह्य परीक्षक की आख्या/संस्तुति व अन्य अभिलेखों आधार पर श्री राम कुमार सिंह, शोध छात्र के जेनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग विषय में पी0एच–डी0 उपाधि प्र करने की संस्तुति प्रदान की।

4. श्री शकील अहमद अंसारी पुत्र श्री कबीर अहमद अंसारी, अनुक्रमांक–170378, बी0ए0 भाग–दो वर्ष–1987, मुरली मनोहर टाऊन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया की विश्वविद्यालय सारणीयन पंजिका में वर्तमान में U दर्ज है, जबकि महाविद्यालय की सारणीयन पंजिका में पत्रांक 137/प0/20/12 द्वारा UFM काट दिया गया तदक्रम में इनके परीक्षाफल पर विचार।
निर्णयः– परीक्षा समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि छात्र से एक शपथ पत्र प्र करते हुए विश्वविद्यालय सारणीयन पंजिका में भी UFM काटते हुए महाविद्यालय सारणीयन पंजिका की भां परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण दर्ज कर लिया जाय।

5. श्री सियाराम सिंह पुत्र श्री यमुना प्रसाद सिंह, बी0एस–सी0 भाग दो, अनुक्रमांक–67459 स्नातकोत्तर महाविद्याल गाजीपुर के सारणीयन पंजिका में पिता के नाम में श्री यमुना सिंह दर्ज है, को संशोधित कर 'श्री यमुना प्रस सिंह' करने पर विचार–
निर्णयः– समिति ने छात्र के महाविद्यालय से प्राप्त बी0एस–सी0 के ट्रान्सफर सर्टिफिकेट एवं अन्य अभिलेखों आधार पर श्री सियाराम सिंह के पिता के स्थान पर श्री यमुना प्रसाद सिंह, दर्ज करने की अनुमति प्रदान किया

अन्त में अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ समिति की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति